एम.ए.सी.पी. संख्या ३५७/२०१८
१. श्रीमती फूलवती पत्नी स्व. जाहर सिंह उम्र ५० वर्ष
२. मान सिंह पुत्र स्व. जाहर सिंह उम्र ३८ वर्ष
३. गोविन्द दास सिंह पुत्र स्व. जाहर सिंह उम्र ३१ वर्ष
निवासीगण ग्राम व पोस्ट स्वामी बरौदा थाना जखौरा परगना वांशी जिला ललितपुर

-----याचीगण

प्रति

१. अक्षय कुमार टडैया तनय कैलाश चन्द्र टडैया निवासी ४१७/२ सिविल लाईन कचहरी रोड ललितपुर

........मालिक होण्डई कार सं. यू.पी. ९४ ई २२५०

२. राम लाल रायकवार पुत्र हलके निवासी मकान नं. ३१५ आजादपुरा ललितपुर, यू.पी.

.......चालक होण्डई कार सं. यू.पी. ९४ ई २२५०

३. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए मण्डलीय प्रबन्धक न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. कचहरी चौराहा झाँसी

...... बीमाकर्ता होण्डई कार सं. यू.पी. ९४ ई २२५०

----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री विकास गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री अफजल अहमद

<u>**०१.११.२०२०**</u>

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २१बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी कि विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २१बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ४,२५,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ४,२५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ४,२५,०००(चार लाख पचीस हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण मृतक की क्रमशः पत्नी व पुत्रगण हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २ व ३ क्रमशः ५०, २५ व २५% भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. १ लगायत ३ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की याचीगण के नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:55:28 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal
Jhansi